

प्रेस नोट दिनांक 30.09.2020

1. दिनांक 29.09.20 को वादी बुद्धिराम प्रजापति पुत्र राम केवल नि0 रघुनाथ पाण्डेय का पुरवा थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि धर्मराज पुत्र रामकेवल नि0 रघुनाथ पाण्डेय का पुरवा थाना कैण्ट अयोध्या आदि 02 नफर अभि0गण द्वारा वादी को गाली देना, मारना पीटना तथा जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 461/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 29.09.20 को वादी उ0नि0 श्री राम प्रकाश मिश्रा थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि दीपक कुमार चौरसिया पुत्र स्व0 अमरीश नि0 14/116 जैन मंदिर चौराहा थाना को0अयोध्या अयोध्या आदि 02 नफर सभी गिर0 अभि0गण सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्ते के साथ रूपये की हारजीत की बाजी लगा कर जुआ खेलना मौके से मालफड़ व जामा तलाशी के 600 रूपये व ताश के 52 पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 709/20 धारा 13 जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 29.09.20 को वादी उ0नि0 श्री सतीश चन्द्र थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सूर्यपाल पुत्र अयोध्या प्रसाद नि0 कोछा बाजार थाना को0बीकापुर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 500 ग्राम गांजा तथा 3.26 कि0ग्रा0 भांग नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 709/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 29.09.20 को वादी का0 नरेन्द्र देव मिश्रा थाना तारून अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रवि भारती पुत्र शिवपाल भारती नि0 बेलगरा थाना तारून अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 12 पौवा आरेन्ज कम्पनी की देशी शराब बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु0अ0सं0 394/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 29.09.20 को वादी उ0नि0 श्री हरेकृष्ण कुमार थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि संतोष उर्फ टेटू पुत्र रामजग नि0 बजनू का पुरवा धमथुआ थाना कुमारगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 250 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 270/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 29.09.20 को वादी उ0नि0 श्री हरेकृष्ण कुमार थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वीरेन्द्र पासी पुत्र देवीदीन नि0 बजनू का पुरवा धमथुआ थाना कुमारगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 250 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 271/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 29.09.20 को वादी उ0नि0 श्री राम प्रकाश त्रिपाठी थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजकुमार सिंह पुत्र राम सिंगार सिंह निवासी बकौली थाना खण्डासा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 5 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 419/20 धारा 60(2) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।